

# कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र०

पत्रांक : .....

दिनांक : .....

## कार्यालय आदेश

लखनऊ विश्वविद्यालय के भवन आवंटन नियमावली में निम्नवत व्यवस्था है:- लखनऊ में शिक्षक/शिक्षिका का अपना तथा अपनी पत्नी/पति के नाम का आवास न हो/रेन्ट कंट्रोल द्वारा आवंटित लखनऊ में शिक्षक का अपना या अपनी पत्नी/पति के नाम का आवास न हो/रेन्ट कंट्रोल द्वारा आवंटित भवन/लखनऊ विकास प्राधिकरण/उ०प्र० आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित भवन न हो, लखनऊ शहर में स्वयं का आवास न हो यदि आवास होता है तो उक्त शिक्षक का आवास आवंटन से निरस्त कर दिया जायेगा। रू० 10/- के स्टैम्प पेपर पर इस आशय का एक शपथ-पत्र, आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

अतः भवन आवंटन नियमावली में निहित व्यवस्था के क्रम में मा० कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक आवास में निवासित समस्त शिक्षकों से अनुरोध है कि रू० 10/- के स्टैम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ-पत्र निर्माण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय को तीन कार्य दिवसों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(डॉ० भावना मिश्रा)  
कुलसचिव

संख्या- 9A-9388-99

दिनांक- 21/05/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/इंचार्ज, ल०वि०वि०।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, ल०वि०वि०।
4. वित्त अधिकारी, ल०वि०वि०।
5. परीक्षा नियंत्रक, ल०वि०वि०।
6. कुलानुशासक, ल०वि०वि०।
7. निदेशक, आई०पी०पी०आर०, ल०वि०वि०।
8. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल०वि०वि०।
9. समस्त शिक्षकगण।
10. समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, ल०वि०वि०।
11. इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित समस्त कोई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
12. कार्यालय प्रति।

*Bhavana*  
कुलसचिव